संख्या-04/2021/3138/26-3-2020-16(विविध)/2017 टी.सी.

प्रेषक

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मेंए

निदेशक
जनजाति विकास
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 08 जनवरी 2021

विषयः- **मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत थारू एवं अन्य अनुसूचित जनजातियों के कक्षा-1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदयए

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-161/ज0जा0वि0/पुनर्विनियोग/2020-21 दिनांक-17.11.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत थारू एवं अन्य अनुसूचित जनजातियों के कक्षा-1 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता-02-कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)-21-छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन मद में **रू0-83.77** लाख एवं लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना-11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता-03-कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)-21-छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन मद में **रू0-134.82 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-218.59 लाख (रू0-दो करोड़ अठ्ठारह लाख उनसठ हजार मात्र)** को अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन तथा रख-रखाव-41-भोजन व्यय मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः -

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/ डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकारए उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-24 मार्च 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-प्रश्नगत प्रकरण में लम्बित देयता का भुगतान सत्यापन उपरांत सही पाने पर ही किया जायेगा।

(9)-धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।

(10)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिये उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-09-अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन तथा रख-रखाव-41-भोजन व्यय मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0संख्या-04/2021/3138(1)/26-3-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1- महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–81– समाज कल्याण (जनजाति विकास) विभाग का नाम:–निदेशालय जनजाति विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2020–21

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2225–02–796–00–09 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–09–अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के संचालन तथा रख–रखाव					
41–भोजन	500.48	309.16	218.59	218.59	281.89
योग:–	**500.48**	**309.16**	**218.59**	**218.59**	**281.89**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष मे प्रत्यावित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–02–796–11–02–21 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृति एवं अनावर्तक सहायता–02–कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)					
21–छात्रवृत्तियाँ एवं छात्रवेतन	0.00	83.77	83.77	83.77	83.77
2225–02–796–11–03–21 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–11–अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृति एवं अनावर्तक सहायता–03–कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता (जिला योजना)					
21–छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन	0.00	134.82	134.82	134.82	134.82
योग:–	**0.00**	**218.59**	**218.59**	**218.59**	**218.59**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय महामारी कोविड–19 के होने के कारण बन्द होने के फलस्वरूप भोजन मद में बचत हुयी है।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के कम में कक्षा–6 से 8 एवं कक्षा–1 से 5 में अध्ययनरत् छात्रों की छात्रवृत्ति एवं छात्रवेतन हेतु उपरोक्त वांछित मद में आय–व्ययक में प्राविधान न होने के कारण धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–245/दस–2020 दिनांक 06 जनवरी, 2021

सेवा में,

महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उ0प्र0, इलाहाबाद।

(राकेश कुमार सचान)

अनु सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ओम प्रकाश द्विवेदी

विशेष सचिव

वित्त विभाग।

ह0

http://shasan

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ०सख्या- 04 /2021/3138 (1)/26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0,इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2 उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।